ए.

सती सिंह और अन्य बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 2374) 15 फरवरी, 2022

बी.

[संजीव खन्ना और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 34 और 201-हत्या की मौत-परिवेशीय साक्ष्य-अपने पति की छाण (झोपड़ी) में जली हुई स्थिति में पाया गया विवाहित महिला का शव-मृतक के पिता ने मृतक के पति, सास और साली को शामिल करते हुए लिखित शिकायत दी-अभियुक्त-अपीलार्थी यानी मृतक के पति और सास को सत्र न्यायालय की धारा 303 आर/डब्ल्यू एस द्वारा दोषी ठहराया गया था।34 और 201 भारतीय दण्ड संहिता सी.-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि-स्वामित्व-को बरकरार रखाःदोषसिद्धि केवल परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण परिस्थितिजनक साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि केवल अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और कोई और नहीं-वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है जो निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि कथित कार्य केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं-धारा में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए दबाव डालकर अभियुक्त पर भार नहीं डाला जा सकता है।106 साक्ष्य अधिनियम-विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने केवल संदेह, अनुमान और अनुमानों के आधार पर अभियुक्त को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने में कानून की घोर त्रुटि की-अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को तदनुसार बरी कर दिया गया-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.106।

सी.

डी.

ई.

एफ.

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-की प्रशंसा-आयोजितःपरिस्थितियां चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हों, सबूत की जगह नहीं ले सकतीं-अभियुक्त के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** अभिलेख पर परिस्थितियों और साक्ष्य की समग्रता पर, अधिक से अधिक यह ए के साक्ष्य से कहा जा सकता है।

एच.

1137

1138 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

मृतक के माता-पिता ने कहा कि आरोपी द्वारा मृतक का उत्पीड़न किया गया था, हालांकि निचली अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा **498** ए के तहत कोई आरोप नहीं बनाया गया था।अभिलेख पर साक्ष्य से आगे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक कथित घटना की पिछली शाम को घर से निकला था और वह पूरी रात नहीं मिली थी, फिर भी ऐसी परिस्थिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने कथित रूप से मृतक की हत्या की थी और उसे जला दिया था।यह कानून की स्थिर स्थिति है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मजबूत हों, सबूत की जगह नहीं ले सकती हैं और अभियुक्त के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना होगा।**[**पैरा **11] [1144-**ई-जी**]**

बी.

सी.

2. दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण परिस्थितिजनक साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि केवल अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और कोई अन्य नहीं।**[**पैरा **14] [1147-**जी**]**

डी.

3.1.वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था जो निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष निकालता कि कथित कार्य केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं।साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** पर राज्य की ओर से रखी गई निर्भरता भी गलत है, क्योंकि धारा **106** का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अपने कर्तव्य के निर्वहन से मुक्त करना नहीं है।**[**पैरा **15] [1147-**एच**; 1148-**ए-बी**]**

ई.

3.2.अभियोजन पक्ष मूल तथ्यों को साबित करने में विफल रहा जैसा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया गया है**,** साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए दबाव डालकर अभियुक्त पर बोझ नहीं डाला जा सका। अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जो अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता है कि आरोपी ने केवल कथित अपराध किया था**,** इसलिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने केवल संदेह**,** अनुमानों और अनुमानों के आधार पर कथित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में कानून की घोर त्रुटि की थी।**[**पैरा **16] [1148-**एफ**-**एच**]** ए

एफ.

जी.

एच.

1139

सती सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य ए

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **1984**

(4) एससीसी 116:[1985] 1 एससीआर 88; यू. पी. राज्य बनामअशोक कुमार श्रीवास्तव (1992) 2 एससीसी 86:[1992] 1 एससीआर 37;

माजेंद्रन लंगेश्वरन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और ए. एन. आर.

(2013) 7 एससीसी 192:[2013] 10 एस. सी. आर. 907 और शंभू

नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, आकाशवाणी (1956) एससी 404:

बी.

[1956] एससीआर **199-**पर भरोसा किया गया।मामला कानून संदर्भ

[1985] 1 एससीआर **88**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

[1992] 1 एससीआर **37**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

सी.

[2013] 10 एससीआर **907**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

[1956] एससीआर **199**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2014 की आपराधिक अपील संख्या 2374।

डी.

2010 के आपराधिक जेल अपील No.64 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 29.08.2013 के निर्णय और आदेश से।शिखिल शिव सूरी, (एसी), सुश्री मधु सूरी, श्रीमती ज्योति सूरी, सुश्री निकिता थापर, सुश्री विनीश्मा कौल, सुश्री कोमल गुप्ता, सुश्री महिमा अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

ई.

कृष्णम मिश्रा, राजीव कुमार दुबे, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

न्यायमूर्ति बेला एम**.** त्रिवेदी

1. अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर वर्तमान अपील 29 अगस्त, 2013 को नैनीताल में आपराधिक जेल अपील संख्या 64/2010 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से निकलती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और जिला और सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 22/2009 में दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।दोनों अपीलार्थी-अभियुक्तों को सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 और धारा 201 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 20, 000/- धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए और कठोर दंड से गुजरना होगा।

जी.

एच.

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए छह साल की अवधि के लिए कारावास और Rs.10,000/- का जुर्माना देना।

2. संक्षिप्त में विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि श्रीमती. शशि देवी ने आरोपी सत्य सिंह से उस घटना की तारीख से चार साल पहले शादी की थी जो 27.06.2009 की शाम से 28.06.2009 की सुबह के बीच किसी भी समय हुई थी। अभियुक्त-इंद्रा देवी अभियुक्त-सत्य सिंह की माँ थी।आरोपी के गांव-गेर के प्रधान राय सिंह (पीडब्लू-8) ने राजस्व पुलिस के नायब तहसीलदार, विरेंद्र राज (पीडब्लू-11) को टेलीफोन पर सूचित किया कि एक महिला की जलने से मौत हो गई है।इसलिए नायब तहसीलदार-विरेंद्र राज (पीडब्लू-11) जी. डी. में उक्त जानकारी दर्ज करने के बाद आरोपी की छाण (झोपड़ी) पर पहुंचे और देखा कि मृतक का शव छाण के कमरे में जली हुई हालत में पड़ा हुआ था।अभियोजन पक्ष का यह अगला मामला था कि मृतक के पिता शरद सिंह भी आरोपी सत्य सिंह का फोन आने पर मौके पर पहुंचे थे।उक्त शरद सिंह ने नायब तहसीलदार को मृतक के आरोपी सत्य सिंह (पति), इंद्रा देवी (सास) और संगीता देवी (साली) के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी, जिसे राजस्व पुलिस स्टेशन बयारगांव, जिला टिहरी गढ़वाल में शाम करीब 4.5 बजे केस क्राइम नंबर 16/2009 के रूप में दर्ज किया गया था।शव का पंचनामा की कार्यवाही के बाद, शव को सील कर दिया गया और पोस्टमार्टम के लिए बौशारी अस्पताल ले जाया गया।उक्त नायब तहसीलदार ने पंचनामा और अन्य कार्यवाही करने के बाद आरोपी सत्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया।उन्होंने अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए।इसके बाद, उनका तबादला कर दिया गया और आगे की अनुसंधान नायब तहसीलदार, गुणानंद बहुगुणा (पीडब्लू-10) को सौंप दी गई।उक्त अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल की अदालत में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा302 और 201 के तहत अपराधों के लिए आरोपी सत्य सिंह और इंद्रा देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोपी संगीता देवी को फरार दिखाया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. उक्त मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य होने के कारण सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय, टिहरी गढ़वाल को सौंपा गया था।दोनों अभियुक्तों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया, अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 11 गवाहों से पूछताछ करके मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, आरोपी-सत्य सिंह ने ए के समक्ष अपने आगे के बयान में

एच.

1141

सती सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत दर्ज ट्रायल कोर्ट ने अन्य बातों के साथ कहा कि उनके समाज में दहेज की कोई प्रथा नहीं थी और उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी शशि की मृत्यु कैसे हुई।उन्होंने आगे कहा कि वह गांव के अन्य लोगों के साथ पूरी रात शशि की तलाश करते रहे लेकिन वह नहीं मिली।उनके अनुसार, शशि ने संभवतः आत्महत्या कर ली थी।अभियुक्त-इंद्रा देवी ने कहा था कि चूंकि वह सत्य सिंह की माँ थीं, इसलिए उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था।निचली अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया।

बी.

सी.

4. उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति के माध्यम से अपीलार्थीगण-अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिखिल सूरी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि दोनों न्यायालयों अर्थात विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने में भारी त्रुटि की थी, हालांकि अपीलार्थीगण के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था।उनके अनुसार, न तो जिस तरीके से कथित घटना हुई थी और न ही जिस स्थान पर मृतक को कथित रूप से मार दिया गया था और जला दिया गया था, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अपीलार्थीगण मृतक के पति और सास थे, इसलिए उन्हें केवल संदेह, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया। अदालत को मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के साक्ष्य के पास ले जाते हुए, उन्होंने कहा कि मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित था क्योंकि कथित घटना का कोई

चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा था जिससे आरोपी को दोषी ठहराया गया था।

डी.

ई.

एफ.

5. तथापि, प्रत्यर्थी-उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णम मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला यह न्यायालय साक्ष्य की पुनः सराहना नहीं कर सकता है और एक अलग निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है।श्री मिश्रा ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए गवाहों से पूछताछ की थी कि आरोपी द्वारा मृतक का उत्पीड़न किया गया था और घटना के पिछले दिन भी मृतक और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक शशि घर से चला गया था।उनके अनुसार, आरोपी ने जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की थी

जी.

एच.

हालाँकि, इस कहानी का प्रतिपादन करते हुए कि शशि ने आत्महत्या कर ली थी, डॉक्टर के साक्ष्य से। संजय कवडवाल (पीडब्लू-9) और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों से यह विधिवत साबित हुआ कि शशि के शव पर पाई गई चोटें पूर्व-पोस्टमार्टम थीं, और उनकी मृत्यु रक्तस्राव और पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों के कारण सदमे के कारण हुई थी।उन्होंने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर जोर देते हुए कहा कि अभियुक्तों द्वारा अपने आगे के बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि शशि ने पिछले दिन अपना घर क्यों छोड़ा और उन्होंने पूरी रात क्या किया, जब शशि नहीं मिला।

बी.

6. अब शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि निर्विवाद रूप से अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर निर्भर था क्योंकि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था।यद्यपि अभियुक्त ने मृतक के आत्महत्या करने की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश

की थी, लेकिन दोनों अदालतों ने उक्त कहानी को सही ढंग से स्वीकार नहीं किया था, डॉ. संजय कवडवाल के निर्णायक साक्ष्य को देखते हुए, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था और मृतक के शव पर पाए गए घावों को दर्ज किया था, जो पूर्व-शव परीक्षण प्रकृति के थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज पूर्व-शव परीक्षण चोटें इस प्रकार थीं:

सी.

डी.

(i) ओसीपीटल हड्डी **3CMx3CM** का फ्रैक्चर

ई.

(ii) फ्रैक्चर लेफ्ट ह्यूमरस **(**यौगिक**)** लोअर

(iii) पेट फट गया था और आंत बाहर निकल रही थी**, 10** सेमी **x 4** सेमी

((iv) पूरा शरीर काला पड़ गया था**,** जल गया था**,** छिलका निकला था**,** चर्मपत्र की तरह डर रहा था और मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं।सिर के बाल जल गए थे।

एफ.

उक्त चिकित्सक ने राय दी थी कि मृत्यु का कारण रक्तस्राव और पूर्व-शव परीक्षण चोटों के कारण सदमा था।उक्त डॉक्टर से यह साबित करने के लिए लंबी पूछताछ की गई कि चोटें पूर्व-शव परीक्षण नहीं थीं और केवल जलने के कारण थीं, हालांकि, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया था और आगे बताया था कि जलने के कारण शरीर पर कैसे और कब फफोले विकसित होंगे।डॉक्टर के उक्त साक्ष्य से, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मृतक शशि की हत्या कर दी गई थी।

जी.

एच.

ए.

7. यह न्यायालय को अगले मुद्दे पर ले जाता है कि शशि की मृत्यु कैसे और किसके कारण हुई।अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए 11 गवाहों से पूछताछ की थी।हालांकि, किसी भी गवाह को कथित घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।पीडब्लू-1 अर्थात। मृतक की चाची जोंतारा देवी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बयान दिया था कि 27 तारीख को लगभग 1 बजे सत्य सिंह ने उसे यह पूछने के लिए फोन किया था कि क्या शशि उसके घर आया था, और अगले दिन उसे पता चला था कि शशि

को जला दिया गया था।जिरह में, उसने स्वीकार किया था कि आरोपी सत्य सिंह या उसके परिवार के सभी सदस्यों ने कभी भी उसकी उपस्थिति में दहेज की कोई मांग नहीं की थी, न ही उनके द्वारा उसकी उपस्थिति में कोई हमला किया गया था।

बी.

सी.

8. मृतक के पिता-शरद सिंह (पीडब्लू-2) ने अपने साक्ष्य में कहा था कि आरोपी यानी मृतक का पति और उसके परिवार के सदस्य उसकी बेटी-शशि को दहेज के लिए परेशान करते थे और इसलिए, कई बार शशि दौड़ते हुए उसके घर आता था।उसने यह भी कहा था कि विचाराधीन घटना से एक महीने पहले, शशि उसके घर आया था और उसे बताया था कि दहेज के लिए आरोपी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था।विचाराधीन घटना के संबंध में, उन्होंने कहा था कि सत्य सिंह ने उन्हें सुबह लगभग 10-11 बजे फोन किया था ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि शशि ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसलिए वह ग्रामीणों के साथ आरोपी के छाण के पास गया और देखा कि शशि का शव वहां जली हुई हालत में पड़ा था।उन्होंने इस घटना के संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। जिरह में उसने स्वीकार किया था कि उसने उसके शरीर पर कभी कोई चोट नहीं देखी थी और न ही उसने आरोपी द्वारा कथित उत्पीड़न के बारे में कोई शिकायत दर्ज कराई थी।उन्होंने आगे कहा था कि आरोपी का छाण यानी गौशाला गांव गेर में आरोपी के घर से आधे घंटे की दूरी पर स्थित था और गांव और छाण के बीच में बंज, बुरांश का जंगल था।उन्होंने यह भी कहा था कि सत्य सिंह के पिता मूक-बधिर थे।उसने यह भी स्वीकार किया कि पिछली शाम जब जोंतारा देवी ने उसे शशि के बारे में पूछताछ करने वाले सत्य सिंह के फोन कॉल के बारे में बताया, तो वह यह सोचकर अभियुक्त के गाँव नहीं गया कि वे इस तरह से झगड़ते रहेंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो सत्य सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे।उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी को कैसे जलाया गया था, हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि शशि को चुल्ल (चूल्हे) से आग लगी थी।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि आरोपी द्वारा उनकी बेटी का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

9. अभियोजन पक्ष ने मृतक की मां अभि.सा. -3 भागदेयी देवी, मृतक के चाचा अभि.सा. -5 (भरत सिंह) और अन्य ग्रामीणों अभि.सा. -4 (भगत सिंह), अभि.सा. -6 (बलबीर सिंह) और अभि.सा. -7 (गब्बर सिंह) से पूछताछ की, हालांकि, किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मृतक की हत्या कैसे, कब और कहाँ की गई और उसे जला दिया गया।

10. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुसंधान अधिकारी गुणानंद बहुगुणा (पीडब्लू-10) और विरेंद्र राज (पीडब्लू-11) द्वारा की गई पूरी अनुसंधान बहुत ही सरसरी और घटिया तरीके से की गई थी।गांव के प्रधान श्री राय सिंह से सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार (विरेंद्र राज) मौके पर पहुंचे और वादी शरद सिंह के कहने पर आरोपी सत्य सिंह, इंद्रा देवी और संगीता देवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।किसी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस बात की कोई अनुसंधान नहीं की गई कि मृतक की हत्या और उसे किस स्थान पर जलाया गया था, और कैसे और किसके द्वारा उसका जला हुआ शरीर छाण में लाया गया था।हालांकि, जांच अधिकारी के अनुसार, यह संदेह था कि अपराध सत्य सिंह के पिता अतर सिंह ने किया था, लेकिन उन्हें कभी भी मामले में नहीं फंसाया गया था।अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से किसी भी आपत्तिजनक वस्तु की कोई बरामदगी और खोज नहीं हुई थी और अभियुक्त को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत एकत्र करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

11. परिस्थितियों और अभिलेख पर साक्ष्य की समग्रता पर, मृतक के माता-पिता के साक्ष्य से अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि आरोपी द्वारा मृतक का उत्पीड़न किया गया था, हालांकि निचली अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के तहत कोई आरोप नहीं बनाया गया था।अभिलेख पर साक्ष्य से यह और अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक शशि कथित घटना की पिछली शाम घर से बाहर चली गई थी और वह पूरी रात नहीं मिली थी, फिर भी ऐसी परिस्थिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने शशि की हत्या की थी और उसे जला दिया था जैसा कि आरोप लगाया गया है।यह कानून की स्थिर स्थिति है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मजबूत हों, सबूत की जगह नहीं ले सकती हैं और अभियुक्त के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना होगा।इस मोड़ पर, आइए हम इसके द्वारा निर्धारित सुनहरे सिद्धांतों पर फिर से विचार करें।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में अदालत ने रिपोर्ट दी

1984 (4) एस. सी. सी. 116 में।इस न्यायालय ने "होना चाहिए" और "किया जा सकता है" के बीच अंतर करते हुए पैरा 153 के तहत देखाः

एच.

1145

सती सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

ए.

“153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है**,** उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए।

बी.

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" साबित की जा सकती हैं।जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य **[(1973) 2** एस**.** सी**.** सी**. 793** में कहा था**,** "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।**1973** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**) 1033:1973** सी**.** आर**.** एल**.** एल**.** जे**. 1783]** जहाँ अवलोकन किए गए थे।

सी.

निश्चित रूप से**,** यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।**(2)** इस प्रकार साबित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए**,** अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

डी.

ई.

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए**,**

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए**,** और

एफ.

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।**"**

जी.

12. यह आगे पैरा-158 से 160 में निम्नानुसार देखा गया थाः

"158. देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य **(**ए**.** आई**.** आर**. 1955)** मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही जोरदार तर्क पर ध्यान देना यहां आवश्यक हो सकता है।

एच.

एससी **801:(1955) 2** एस**.** सी**.** आर**. 570,582:1955** सी**.** आर**.** आई**.** एल**.** जे**. 1647]** ने अपने इस तर्क के पूरक के रूप में कहा कि यदि बचाव पक्ष का मामला झूठा है तो यह एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा ताकि अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया जा सके।विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर**-**जनरल के प्रति उचित सम्मान के साथ हम उपरोक्त मामले की उनके द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत होने में असमर्थ हैं**,** जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार निकाला जा सकता हैः

बी.

"लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर बताए गए विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अपीलार्थी को समय और स्थिति के संबंध में उचित निश्चितता और मृतक की निकटता के साथ संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं।**..**स्पष्टीकरण या गलत व्याख्या की अनुपस्थिति अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।**"**

सी.

159. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह श्रृंखला को पूरा करने के

लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय ने पहले जो कहा था, उसके आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात एक गलत स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग करने से पहले, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

डी.

ई.

(1) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से साबित हुए हैं,

(2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और

एफ.

(3) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट होती है।

160. यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो अदालत अदालत को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या झूठे बचाव का उपयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं।वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है।शंकरलाल मामले **[(1981) 2** एस. सी. सी. **35,39** में मामले के इस पहलू की जांच की गई थीः**1981** एस. सी. सी. **(**सी. आर. आई.**) 315,318-19:(1981) 2** एससीआर **384,390:1981** सी. आर. आई. एल. जे **325]** जहाँ इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः**[**एससीसी पैरा **30,**पृ. **43:**एस. सी. सी. **(**सी. आर. आई**)** पी**.322]''** ए.

जी.

एच.

1147

सती सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

"इसके अलावा, बचाव का झूठ उन तथ्यों के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना पड़ता है।एक झूठी याचिका को एक अतिरिक्त परिस्थितियों के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हैं।**"**

13. उक्त सिद्धांतों को निर्णयों के समूह में दोहराया गया है।

बी.

यू. पी. राज्य बनामअशोक कुमार श्रीवास्तव (1992) 2 एस. सी. सी. 86

पैरा 9 में देखा गया है किः

''9.इस न्यायालय ने समय-समय पर यह मत व्यक्त किया है कि परिस्थितिजनक साक्ष्य की सराहना करते हुए न्यायालय को एक बहुत ही सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल तभी दोषसिद्धि दर्ज करनी चाहिए जब श्रृंखला में सभी संबंध अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए पूर्ण हों और निर्दोषता की प्रत्येक परिकल्पना साक्ष्य पर नकारने में सक्षम हो।परिस्थितिजनक साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है वह यथोचित रूप से दो निष्कर्ष निकालने में सक्षम है**,** तो अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।जिस परिस्थिति पर भरोसा किया गया है वह पूरी तरह से साबित पाया जाना चाहिए और इस तरह से साबित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा रखी गई किसी भी और हर परिकल्पना को पूरा करना चाहिए**,** चाहे वह कितनी भी दूरगामी और काल्पनिक क्यों न हो।न ही इसका मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को थोड़े से संदेह पर अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि कानून अस्वीकृति की अनुमति देता है यदि संदेह उचित है और अन्यथा नहीं है।**''**

सी.

डी.

ई.

14. पुनः मजेंद्रन लंगेश्वरन बनाम राज्य (एन. सी. टी. ऑफ

एफ.

दिल्ली) और एएनआर। (2013) 7 एस. सी. सी. 192, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री को असंगत और अभियोजन पक्ष के मामले में दुर्बलताओं को पाते हुए, पहले के निर्णयों की संख्या पर विचार किया, और यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण इस परिस्थितिजनक साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केवल अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और कोई अन्य नहीं।

जी.

15. उक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है जो निर्विवाद रूप से समाप्त होगा।

कि कथित कार्य केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं।विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर राज्य के लिए रखा गया भरोसा भी गलत है, क्योंकि धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मुक्त करना नहीं है।

अभियुक्त का अपराध।शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य में,

ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 404, इस अदालत ने आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के दायरे को उचित रूप से समझाया था।यह पैरा 9 में आयोजित किया गया थाः

बी.

"9. यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा **106** का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है।इसके विपरीत**,** यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे तथ्यों को स्थापित करना संभव होगा**,** या किसी भी तरह से असमान रूप से कठिन होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।"विशेष रूप से" शब्द इस पर जोर देता है।इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो उनके ज्ञान में पहले से या असाधारण रूप से हैं।यदि धारा की व्याख्या अन्यथा की जाती है**,** तो यह बहुत ही चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालता है कि हत्या के मामले में यह साबित करने का बोझ आरोपी पर है कि उसने हत्या नहीं की क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने की या नहीं।यह स्पष्ट है कि यह इरादा नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस धारा का अर्थ लगाने से इनकार कर दिया है**,** जैसा कि भारत के बाहर कुछ अन्य अधिनियमों में पुनः प्रस्तुत किया गया है**,** जिसका अर्थ है कि यह दिखाने का भार एक अभियुक्त व्यक्ति पर है कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाता है।ये मामले एट्टीगाले बनाम सम्राट **[**ए**.** आई**.** आर**. 1936** पी**.** सी**. 169]** और सेनेविरत्ने बनाम आर**. [(1936) 3** सभी ई**.** आर**. 36,49]** हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. मामले में, अभियोजन पक्ष मूल तथ्यों को साबित करने में विफल रहा, जैसा कि आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए दबाव डालकर आरोपी पर बोझ नहीं डाला जा सका। अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जो अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता है कि आरोपी ने केवल कथित अपराध किया था, अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने केवल संदेह, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर कथित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में कानून की घोर त्रुटि की थी।

जी.

एच.

1149

सती सिंह और अन्य बनाम उत्तरखंड राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

ए.

17. मामले के उस दृष्टिकोण में, विवादित निर्णय रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार अलग किए जाते हैं।अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है और उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

18. अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

बी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.